न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 32/2018 (78/1981)

वादीगण :–

भैराराम के का. मुकामः–

1. **बक्साराम** पुत्र स्व. श्री भेराराम के का. मुकामः–
   1/1. **कैलाश** पुत्र स्व. श्री बक्साराम,
   1/2. **मैना** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/3. **रामा** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/4. **मुका** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/5. **सुखी** पत्नी स्व. श्री बक्साराम,
2. **सुगनाराम** पुत्र स्व० श्री भेराराम,
3. **बद्रीराम** पुत्र स्व० श्री भेराराम,
4. **मंगलाराम** पुत्र स्व. श्री भेराराम,
   सभी जातियान्–कुम्हार, निवासीगण–ग्राम भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. **किस्तूरराम** के कायम मुकाम
   1/1.**परसाराम** पुत्र किस्तूरराम
   1/2.**नाथूराम** पुत्र किस्तूरराम
   1/3. **बाबूलाल** पुत्र श्री किस्तूरराम
   1/4. **पपूड़ी** पुत्री श्री किस्तूरराम
2. **परसाराम** पुत्र श्री किस्तूरराम
3. **घमण्डाराम** पुत्र श्री मोतीराम के कायम मुकाम
   3/1. **बीराराम** पुत्र श्री घमण्डाराम
4. **अणदाराम** पुत्र श्री घमण्डाराम,
5. **उम्मेदराम** पुत्र श्री घमण्डाराम के कायम मुकाम
   5/1. **श्रवण** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/2. **रामदयाल** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/3. **रामकिशोर** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/4. **रामपाली** बेवा उम्मेदराम,
6. **किशनाराम** पुत्र श्री मोतीराम के कायम मुकाम
   6/1. **दयालराम** पुत्र किशनाराम,
7. **रामकरण** पुत्र श्री किशनाराम के कायम मुकाम,
   7/1. **मुकेश** पुत्र रामकरण,
   7/2. **ओमाराम** पुत्र रामकरण,
   7/3. **बुलाराम** पुत्र रामकरण,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

7/4. गटुड़ी पुत्र रामकरण,

8. तिलाराम पुत्र श्री किशनाराम,

9. रामनिवास पुत्र श्री घमण्डाराम, सभी जातियान जाट, निवासीगण–भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि.,1955

उपस्थित– 01. श्री रामप्रकाश प्रजापत, अधिवक्ता वादीगण

02. श्री रामकिशोर चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व 2 की ओर से।

03. प्रतिवादी संख्या 3/1, 4, 5/1 से 5/4, 6/1, 7/1 से 7/4, 8 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय आदेश पारित किये गये।

–:निर्णयः– **दिनांकः–19.02.2021**

वादी भेराराम ने गांव सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ़ (तत्कालीन तहसील बिलाड़ा) में खेत खसरा नम्बर 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी बी–प्रथम बाबत् एक वाद धारा 188 राज.काश्त.अधि., 1955 स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 19.08.1981 को तत्कालीन क्षेत्राधिकार के न्यायालय श्री सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो ग्राम सुरपुरा खुर्द की कृषि भूमि बाबत् वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार वर्तमान में इस न्यायालय को प्राप्त होने से उक्त वाद की पत्रावली इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त होने पर उक्त वाद का निर्णय किया जा रहा है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार गांव सुरपुराखुर्द,तहसील भोपालगढ़(तत्कालीन तहसील बिलाड़ा) में खेत खसरा नम्बर474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी बी–प्रथम वादी की मौके पर पुस्तैनी रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है तथा उपरोक्त खसरा रकबा भूमि की शुरू से वर्तमान तक समय समय पर नियमानुसार वादी स्वयं ही राजस्व बिगोड़ी जमा करवाता है तथा विवादग्रस्त भूमि का प्रत्येक राजस्व मूल अभिलेख भी वादी के नाम से ही है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का निवासित घासफूस काझोंपड़ा बना हुआ है, जिसे वादी अपने निवास के लिये उपयोग में लेता है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को आरम्भ से आज दिन तक अपने अथक परिश्रम से तथा अपनी बहुत धनराशि व्यय कर खाद वगैरा डालकर व अन्य तरह से भी उन्नत बनाकर सुधार किया है। वादी गरीब, अनपढ़ व पिछड़ी जाति का कृषक मजदूर व्यक्ति है तथा वादी अपने परिवार का पालन पोषण भी ... मजदूरी से ही करता है। प्रतिवादीगण का उक्त ... का अधिकार व हक नही है तथा न ही इस आराजी ... ही ... शुरू से आज दिन तक कभी भी मुतनाजा भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से प्रतिवादीगण का कब्जा अथवा काश्त किसी प्रकार का नही ... है तथा आज दिन भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

नही है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का प्रारम्भ से पीढ़ीयों से कब्जा व काश्त है और वादी शांन्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के इस खेत खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्त करता आ रहा है, जिसमें प्रतिवादीगण दखलन्दाजी कर कब्जा से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करना पड़ा। काफी लम्बे समय से प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक वादी के पैतृक, पुस्तैनी कब्जा काश्त के इस खेत पर जबरदस्ती अनाधिकृत रूप से कब्जा कर येन केन प्रकारेण कब्जा करने की फिराक में है। वादग्रस्त कृषि भूमि को वादी ने अपनी पुस्तैनी कब्जे काश्त एवं काबिज मालिक वादी ही होना जाहिर कर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक कुछ अन्य व्यक्ति दिनांक 15.08.1981 को प्रातः लगभग 9 बजे जब वादी अपने उपरोक्त खेत में अपने तिलों की फसल में निदान(कृषि कार्य) करवा रहा था तब लाठियों से लेस होकर आये तब स्पश्ट रूप से वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने ऐलानिया यह धमकी दी कि किसी भी तरह से येनकेन प्रकारेण जबरदस्ती वादग्रस्त खेत पर कब्जा कर लेगें, वादग्रस्त कृषि भूमि को पूर्णतया नष्ट कर देगें तथा कुछ दिन पहले भी प्रतिवादीगण ने इस खेत को हड़पने की दो तीन बार प्रयास करने की पूर्ण योजना बनाई थी। इस कारण वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वादी के हित में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की चिर स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण हमेशा के लिये वादी के इस उपरोक्त कब्जा व काश्त सुदा खेत खसरा संख्या 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म बी–प्रथम में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे एवं अन्य किसी से भी दखलन्दाजी नही करावें। वाद की डिक्री वादी के हक में फरमाने का निवेदन किया।

वादी ने उक्त वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 तक की प्रस्तुत की एवं सम्वत् 2031 से 2035 तक की गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां व गिरदावरी सम्वत् 2036 व 2037 तक की प्रमाणित प्रतियां एवं रसीदात् लगान की फोटो कॉपीयां प्रस्तुत की।

वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को दिनांक 20.08.1981 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली तामील हेतु दिनांक 11.09.1981 को मुकर्रर की गयी। दिनांक 11.09.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशनसिंह चारण ने वकालतनामा पेश किया। दावा की नकल दी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के सम्मन भी तामीलसुदा प्राप्त हुए एवं प्रतिवादी संख्या 10 का सम्मन पेश करने का आदेश दिया गया। तारीख पेशी दिनांक 01.10.1981 को माननीय राजस्व अपील अधिकारी ने मूल वाद मय प्रार्थना पत्र उनके आदेंश कमांक/आ.टी.ए/81/25[illegible] दिनांक 2[illegible] के जरिये तलब करने पर पत्रावली भेजी जाकर मिसल दिनांक [illegible].10.[illegible]1 को मुकर्रर की गई। दिनांक 10.02.1983 को उक्त पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर से पुनः प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते जवाब व प्रतिवादी संख्या 10 की तलबी हेतु दिनांक 09.03.1983 को मुकर्रर की गयी। प्रतिवादी संख्या 10 को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.03.1981 को भेजा गया होने से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

संख्या 10 तहसीलदार, बिलाड़ा को जवाब प्रस्तुत करने की तहरीर जारी करने का आदेश दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 02.04.1983 को मुकर्रर की गयी। दिनांक 04.10.1983 को वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि न्यायालय की कोई आज्ञा सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. भेजने के आदेश नही है, वादी के वकील ने रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे हैं, जो सम्मन काफी नही है। इस कारण वादी अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 10 के सम्मन पुनः पेश करने का आदेश दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.05.1983 को मुकर्रर की गयी। तारीख पेशी दिनांक 10.05.1983 को वादी के वकील ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रतिवादी पक्षकार संख्या 10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिलाड़ा को राज. काश्त. अधि. की धारा 188 के उक्त वाद में नियमानुसार सरकार को पक्षकार बनाना आवश्यक नही होने से प्रतिवादी पक्षकार संख्या 10 से हटाये जाने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी पक्षकार संख्या 10 तहसीलदार, बिलाड़ा का नाम हटाये जाने की आज्ञा दी गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 9 ने जवाब हेतु अवसर चाही, जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06.06.1983 को वास्ते जवाब दावा हेतु मुकर्रर की गयी, जो तारीख पेशी दिनांक 14.06.83, 22.06.83, 05.07.83, 25.07.83, 04.08.83, 08.08.83, 19.08.83, 24.08.83, 30.08.83, 12.09.83, 19.09.83, 22.09.83, 26.09.83, 30.09.83, 04.10.83, 20.10.83, 16.11.83, 12.12.83, 16.01.84, 20.02.84, 20.03.84, 19.04.84, 29.05.84 को वास्ते जवाब दावा हेतु प्रतिवादीगण ने समय चाहा। दिनांक 31.05.84 को श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर के पत्र कमांक 1009 से तलब करने पर पत्रावली श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर को भेजी गयी, जो दिनांक 10.12.98 को रिमाण्ड होकर पुनः प्राप्त होने पर पत्रावली एसीएम, बिलाड़ा से संबंधित होने से पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीएम, बिलाड़ा को भेजी गई, जो बाद में उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ भाहर को विचारण हेतु प्राप्त हुई, जो दिनांक 28.06.99 से दिनांक 06.09.2006 तक उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ भाहर के न्यायालय में विचारण हेतु मुकर्रर रही एवं दिनांक 02.03.2007 के तहत उक्त पत्रावली श्रीमान् निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पत्र संख्या निग./टी.ए./5601/04/जोधपुर तलब करने पर उक्त पत्रावली श्रीमान् निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की गयी।

वादी ने अपने वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212राज.काश्त.अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 04.10.1983 को वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर यह आदेश दिया [illegible] भूमि खसरा संख्या 474 रकबा 17–08 बीघा ग्राम सुरपुरा [illegible]सील भोपालगढ़(तत्कालीन तहसील बिलाड़ा)पर मैं रिसीवर नियुक्ति का आदेश देता हूं और रिसीवर तह0 भोपालगढ़ को नियुक्त [illegible] रिसीवर को लिखा जावे कि वादग्रस्त भूमि को तुरन्त अपने तहवील में लेवें व तामीली रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें व भूमि का सुचारू रूप से प्रबंध करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

एवं आवश्यकतानुसार इस न्यायालय से निर्देश प्राप्त करते रहे।" तब से ही वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार, भोपालगढ़ रिसीवर के रूप में नियुक्त है।

उक्त वाद के विचारण के दौराने वादी भेराराम व वादी भेराराम के का. मुकाम बक्साराम का देहान्त हो चुका है, इस कारण वर्तमान में वादी भेराराम के अन्य का. मुकाम वादी संख्या 2 से 4 है तथा भेराराम के का. मुकाम बक्साराम वादी संख्या 1 के का. मु. 1/1 से 1/5 के रूप में वादीगण के रूप में प्रतिस्थापित किये गये है।

इसी प्रकार उक्त वाद के विचारण के दौराने प्रतिवादी किस्तूरराम के फौत हो जाने पर प्रतिवादी किस्तूरराम के का. मु. प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 प्रतिवादीगण के रूप में प्रतिस्थापित किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 के फौत हो जाने से उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3/1, प्रतिवादी संख्या 5 फौत हो जाने से उनके स्थान पर उनके का. मु. प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4, प्रतिवादी संख्या 6 के फौत हो जाने से उनके स्थान पर उनके का. मु. प्रतिवादी संख्या 6/1, प्रतिवादी संख्या 7 फौत हो जाने से उनके का. मु. के रूप में प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/4 प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित किये गये।

माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से रिमाण्ड होकर उक्त वाद में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर के पत्रांक/राजस्व/2014/2732/दिनांक 21.11.2014 द्वारा इस न्यायालय को पुनः प्राप्त होने पर उक्त वाद की पत्रावली दिनांक 29.06.2018 को पुनः दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को सूचित करने का आदेश दिया गया।

दिनांक 31.08.2018 को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने अपनी उपस्थिति दी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर वादी संख्या 1/1 जिमनाई दिनांक 12.05.2007 को फौत हो जाने एवं वादी संख्या 1/1 जिमनाई के विधिक वारिसान पूर्व से ही पत्रावली पर होने से वादी संख्या 1/1 जिमनाई का नाम डिलीट करने एवं वादी संख्या 1/2 बक्साराम दिनांक 07.11.2010 को फौत हो जाने से उसके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया गया और इसके साथ ही वादीगण की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1/4 किस्तूरी बेवा किस्तूरराम का देहान्त हो जाने से एवं उसके विधिक वारिसान पूर्व में रेकर्ड पर होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1/4 को प्रतिवादी पक्षकार से हटाये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किये जाकर वादी संख्या 1/1 जिमनाई को वादी पक्षकार से हटाये जाने का आदेश पारित किया गया एवं वादी संख्या 1/2 बक्साराम के विधिक वारिसान को चूंकि वादी संख्या 1/1 जिमनाई को वादी पक्षकार से डिलीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

कर देने के कारण वादी संख्या 1/2 के विधिक वारिसान को वादी संख्या 1/1 से 1/5 के रूप में प्रतिस्थापित किये गये। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1/4 किस्तूरी बेवा किस्तूरराम के फौत हो जाने एवं उसके विधिक वारिसान पूर्व में ही पत्रावली पर मौजूद होने से प्रतिवादी संख्या 1/4 किस्तूरी का नाम डिलीट किया जाकर उक्त प्रतिवादी पक्षकार के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1/5 पप्पुड़ी को प्रतिवादी संख्या 1/4 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

इसी प्रकार वादीगण ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 3/2 किस्तूरी बेवा घमण्डाराम का देहान्त हो जाने एवं उक्त प्रतिवादी के विधिक वारिसान पूर्व में ही रेकर्ड पर लियें हुए होने से प्रतिवादी संख्या 3/2 का नाम डिलीट करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 5 उम्मेदराम पुत्र घमण्डाराम का देहान्त हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 को रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 उम्मेदराम पुत्र घमण्डाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश दिये जाने पर वादीगण की ओर से संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने एवं संशोधित वाद शीर्षक रेकर्ड पर लिये जाने के पश्चात् संशोधित वाद शीर्षक के अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलव किया गया एवं दिनांक 17.06.2019 को प्रतिवादीगण को कोर्ट नोटिस से तलब करके पत्रावली दिनांक 12.07.2019 को मुकर्रर की गयी, जिस पर तारीख पेशी दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश करने के लिए समय चाहा। प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 के नोटिस तारीख पेशी दिनांक 17.06.2019 पर ही तामील सुदा प्राप्त हो जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नही आने से प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 के विरूद्ध एक तरफा आदेश पारित किये गये एवं प्रतिवादी संख्या 3/1, 4, 6/1, 7/1 से 7/4 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को कोर्ट नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। दिनांक 02.09.2019 को प्रतिवादी संख्या 3/1, 4, 6/1, 7/1 से 7/4 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के कोर्ट नोटिस तामील सुदा प्राप्त हुए, लेकिन उक्त प्रतिवादीगण न तो स्वयं ओर न ही अपने प्रतिनिधि/अभिभाषक के मार्फत उपस्थित हुए एवं पत्रावली को वास्ते जवाब हेतु मुकर्रर किया गया। दिनांक 01.11.2019 को 100/—कोस्ट पर जवाब के लिए अवसर प्रदान कर पत्रावली दिनांक 2[illegible], दिनांक 20.12.2019 व दिनांक 10.01.2020 को वास्ते जवाब [illegible] मुक[illegible] की गयी। तारीख पेशी दिनांक 10.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1/[illegible] 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश नही कर जवाब दावा पेश करने के लिए ओर अवसर दिये जाने [illegible] निवेदन किया गया, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
गोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

संख्या 2 का जवाब दावा बंद किया गया, क्योंकि उक्त वाद दर्ज रजिस्टर दिनांक 20.08.1981 से दिनांक 10.01.2020 तक किसी न किसी तकनीकी आधार पर उक्त वाद को लम्बा करते हुए जवाबदावा पेश नही किया और करीब 39 वर्षो के मैराथन इन्तजार के बावजूद प्रतिवादीगण ने उक्त वाद का जवाब दावा पेश नही किया, इस कारण प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश करने के लिए ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब दावा बंद किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3/1, 4, 6/1, 7/1 से 7/4 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही आने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक तरफा आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.01.2020 को मुकर्रर की गयी। तारीख पेशी दिनांक 28.02.2020 को वादी की ओर से गवाह सुगनाराम व बद्रीराम वास्ते साक्ष्य वादी हेतु उपस्थित आये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पीसी. का प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांक 25.05.2012 को प्रस्तुत जवाब दावा रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया ओर किसी कारणवश प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की आर से प्रस्तुत जवाबदावा नही मिलने पर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जवाब दावा रेकर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 13.03.2020 को मुकर्रर की गयी। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब वादीगण की ओर से प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 04.12.2020 को उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के आदेशार्थ हेतु दिनांक 01.01.2021 को मुकर्रर की गयी, परन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने के कारण दिनांक 22.01.2021 को वकील उभय पक्ष की मजीद बहस सुनी गयी और पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 05.02.2021 को मुकर्रर की गयी। दिनांक 05.02.2021 को प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते पूर्व में प्रस्तुत जवाबदावा रेकर्ड पर लेने" निराधार व सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया और पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.02.2021 को मुकर्रर की गयी। दिनांक 12.02.2021 को साक्ष्य वादी पेश नही होने पर पुनः पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.03.2021 को मुकर्रर की गयी।

दिनांक 19.02.2021 को वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 मय अधिवक्ता प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलब करने व प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा तस्दीक करने एवं राजीनामा के तहत उक्त वाद निर्णित एवं [illegible] किया जाकर वादग्रस्त खसरे का कब्जा वादीगण को [illegible] किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मय राजीनामा में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर ग्राम सुरपुरा खुर्द के उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा को निर्णित एवं डिकी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 को किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नही होना जाहिर किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र वास्ते जमा निलामी राशि वादीगण को दिलाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अपनी पूर्ण सहमती होना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, जोधपुर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 21/1981 भेराराम बनाम किस्तूरराम वगैरा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 04.10.1983 को ग्राम सुरपुरा खुर्द के वादग्रस्त खसरा संख्या 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि का रिसीवर नियुक्ति का आदेश दिया गया था, जिसकी पालना में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को तहसीलदार भोपालगढ़ ने अपनी तहवील में लेकर उक्त भूमि का सुचारू प्रबंध करते हुए प्रति वर्ष एक साला खरीफ काश्त हेतु वादग्रस्त खसरे की निलामी की गयी, जिसके तहत अधिक बोली देहिन्दा को काश्त करने हेतु सुपुर्द किया गया एवं बाद काश्त वादग्रस्त खसरे का कब्जा तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा अपनी तहवील में लिया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरे के सुचारू प्रबंध के तहत तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा निलामी कार्यवाही करने पर तहसील, भोपालगढ़ के पास निलामी राशि जमा हुई है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त हो जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नही आने से प्रतिवादी संख्या 5/1 से 5/4 के विरूद्ध दिनांक 12.07.2019 को एक तरफा आदेश पारित किये जा चुके हैं एवं प्रतिवादी संख्या 3/1, 4, 6/1, 7/1 से 7/4 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही आने के कारण इनके विरूद्ध भी दिनांक 10.01.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर एक तरफा आदेश पारित किये गये। इस कारण उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 को ही अपना पक्ष प्रस्तुत करना था, जिनका जवाब दावा भी दिनांक 10.01.2020 को बंद किया जा चुका है एवं दिनांक 05.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत "प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते पूर्व में प्रस्तुत जवाबदावा रेकर्ड पर लेने" खारिज किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते सहमती [illegible] नियुक्ति आदेश दिनांक 04.10.1983 की पालना में सन् 1983 से आज [illegible] तक वादग्रस्त खसरे के सुचारू प्रबंध के तहत तहसीलदार भोपालगढ़ [illegible] निलामी कार्यवाही करने पर तहसील, भोपालगढ़ [illegible] वादीगण को सुपुर्द करने में अपनी सहमति प्रकट की है तथा [illegible] में वर्णित तथ्यों के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादपत्र को निर्णित एवं डिकी जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एव उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

Scanned with CamScanner

जाने में अपनी सहमति प्रदान करने से वादीगण के उक्त वादपत्र में वर्णित तथ्य अविवादित एवं अखण्डित रूप से प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकार कर लिये गये है। इस कारण वादीगण की साक्ष्य की आवश्यकता भी नही रही है एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अविवादित रूप से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दू वादीगण के पक्ष में होना पाये जाने के कारण वादीगण के हित में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को पाबंध किया जाता है एवं रिसीवर नियुक्ति आदेश दिनांक 04.10.1983 की पालना में सन् 1983 से आज दिन तक वादग्रस्त खसरे के सुचारू प्रबंध के तहत तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा निलामी कार्यवाही करने पर तहसीलदार, भोपालगढ़ के पास जमा सम्पूर्ण निलामी राशि तथा रिसीवर के रूप में प्राप्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को सुपुर्द किया जाना उचित समझते है।

"आदेश"

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि वादीगण के वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दू वादीगण के पक्ष में होना पाये जाने के कारण वादीगण के हित में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थायी निशेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के वादग्रस्त खसरा संख्या 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म बी–प्रथम ग्राम सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ़ में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य के मार्फत करावे एवं रिसीवर नियुक्ति आदेश दिनांक 04.10.1983 की पालना में सन् 1983 से आज दिन तक वादग्रस्त खसरे के सुचारू प्रबंध के तहत तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा निलामी कार्यवाही करने पर तहसीलदार, भोपालगढ़ के पास जमा सम्पूर्ण निलामी राशि तथा रिसीवर के रूप में प्राप्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश भी दिये जाते है। उपरोक्तानुसार वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थायी निशेधाज्ञा जारी करने की डिक्री पारित की जाती है। हम अहकाम की डिक्री पर्चा जारी हो। निलामी राशि का भुगतान व रिसीवर के रूप में प्राप्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को सुपुर्द करने की तहरीर तहसीलदार, भोपालगढ़ को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकाम भोपालगढ़, जिला–जोधपुर।

पीठासीन अधिकारीः– श्री जवाहर राम चौधरी, R.A.S.

वादीगण :–

भैराराम के का. मुकामः–

1. **बक्साराम** पुत्र स्व. श्री भेराराम के का. मुकामः–
   1/1. **कैलाश** पुत्र स्व. श्री बक्साराम,
   1/2. **मैना** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/3. **रामा** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/4. **मुका** पुत्री स्व. श्री बक्साराम,
   1/5. **सुखी** पत्नी स्व. श्री बक्साराम,
2. **सुगनाराम** पुत्र स्व॰ श्री भेराराम,
3. **बद्रीराम** पुत्र स्व॰ श्री भेराराम,
4. **मंगलाराम** पुत्र स्व. श्री भेराराम,
   सभी जातियान्–कुम्हार, निवासीगण–ग्राम भोपालगढ़, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. **किस्तूरराम** के कायम मुकाम
   1/1.**परसाराम** पुत्र किस्तूरराम
   1/2.**नाथूराम** पुत्र किस्तूरराम
   1/3. **बाबूलाल** पुत्र श्री किस्तूरराम
   1/4. **पपूड़ी** पुत्री श्री किस्तूरराम
2. **परसाराम** पुत्र श्री किस्तूरराम
3. **घमण्डाराम** पुत्र श्री मोतीराम के कायम मुकाम
   3/1. **बीराराम** पुत्र श्री घमण्डाराम
4. **अणदाराम** पुत्र श्री घमण्डाराम,
5. **उम्मेदराम** पुत्र श्री घमण्डाराम के कायम मुकाम
   5/1. **श्रवण** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/2. **रामदयाल** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/3. **रामकिशोर** पुत्र श्री उम्मेदराम,
   5/4. **रामपाली** बेवा उम्मेदराम,
6. **किशनाराम** पुत्र श्री मोतीराम के कायम मुकाम
   6/1. **दयालराम** पुत्र किशनाराम,
7. **रामकरण** पुत्र श्री किशनाराम के कायम मुकाम,
   7/1. **मुकेश** पुत्र रामकरण,
   7/2. **ओमाराम** पुत्र रामकरण,
   7/3. **बुलाराम** पुत्र रामकरण,
   7/4. **गटुड़ी** पुत्र रामकरण,
8. **तिलाराम** पुत्र श्री किशनाराम,
9. **रामनिवास** पुत्र श्री [illegible], सभी जातियान जाट, निवासीगण–भोपालगढ़, जिला जोधपुर।

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 188 रा.काश्त.अधि.,1955
राजस्व वाद नम्बरः–32/2018([illegible] 1981)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा आज वास्ते [illegible] कतई रूबरू हमारे एडवोकेट श्री रामप्रकाश प्रजापत मिनजानिब मुद्दई व एडवोकेट श्री रामकिशोर चौधरी मिनजानिब

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण के वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दू वादीगण के पक्ष में होना पाये जाने के कारण वादीगण के हित में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को पाबंध किया जाता है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के वादग्रस्त खसरा संख्या 474 रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा किस्म बी–प्रथम ग्राम सुरपुरा खुर्द, तहसील भोपालगढ़ में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य के मार्फत करावे एवं रिसीवर नियुक्ति आदेश दिनांक 04.10.1983 की पालना में सन् 1983 से आज दिन तक वादग्रस्त खसरे के सुचारू प्रबंध के तहत तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा निलामी कार्यवाही करने पर तहसीलदार, भोपालगढ़ के पास जमा सम्पूर्ण निलामी राशि तथा रिसीवर के रूप में प्राप्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को सुपुर्द करने के आदेश भी दिये जाते है। उपरोक्तानुसार वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर स्थायी निशेधाज्ञा जारी करने की डिक्री पारित की जाती है। हम अहकाम की डिक्री पर्चा जारी हो। निलामी राशि का भुगतान एवं रिसीवर के रूप में प्राप्त वादग्रस्त भूमि वादीगण को सुपुर्द करने की तहरीर तहसीलदार, भोपालगढ़ को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मीज .... मुबलिग.................................... बाबत्........... ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भारह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.. ....को अदा करे।

बसब्त् मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह फरवरी 2021 को जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

(सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जोधपुर))

मुद्दायलह	रूपया	पे.	मुद्दायलह	रूपया	पे.
स्टाम्प अर्जी दावा .... स्आम्प वकालतनामा.......... स्आम्प वजह सबूत........... मेहनताना वकील............. खर्चा गवाहान ....फीस कमी नर .... बाबत् इजराय हुक्मनामाकृ मुतफर्रिक .... मीजान.......			स्आम्प वकालतनामा...... स्आम्प अर्जी .... मेहनताना वकील.......... खर्चा गवाहान .... फीस कमी नर .... बावत् इजराय हुक्मनामाकृ मुतफर्रिक .... मीजान..........		

नोटः–इस खर्चे के कार्य पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिए।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:05:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner